संख्या- 7/2017/1521/31-2017-06/2017

प्रेषक,

विवेक वार्ष्णेय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3-समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊः दिनांकः 11 सितम्बर, 2017

विषयः- प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु नवीन व्यवस्था।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1508/31- 2017-06/ 2017 दिनांक 07 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु नवीन व्यवस्था लागू की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में दिये गए निर्देश के क्रम में कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग के यू0आर0एल0 www.upkkv.in पर 61 महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रमों के निर्धारित प्रपत्रों को जनपद स्तर पर डेटा इण्ट्री हेतु अपलोड करा दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु निर्धारित प्रपत्रों को जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्तों के ई-मेल आई0डी0 पर भी प्रेषित किए जा रहे हैं।

3- स्पष्ट करना है कि साफ्टवेयर पर अपलोड प्रपत्रों में डेटा इण्ट्री का कार्य योजनाओं/कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाएगा। इस हेतु साफ्टवेयर में लॉगिन के लिए जनपद/मण्डल एवं विभाग के उपयोगार्थ यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ विभागों के यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

4- डेटा इण्ट्री हेतु आवश्यक अनुदेश यू0आर0एल0 के होम/लॉगिन पेज पर दिये गये हैं। समस्त जिलाधिकारी अपने जनपद में योजनाओं से सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा साफ्टवेयर पर अपलोड प्रपत्रों पर डेटा इण्ट्री का कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त शासनादेश में अंकित तिथि तक अवश्य कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक माह की 10 तारीख की सायं 05:00 बजे डेटा इण्ट्री हेतु वेबसाइट को लॉक कर दिया जाएगा।

5- जनपदों द्वारा यू0आर0एल0 पर उपलब्ध महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रमों के निर्धारित प्रपत्रों पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर जनपदवार/मण्डलवार एवं विभागवार (कार्यक्रमवार) रैंकिंग का निर्धारण सूचकांकों (के0पी0आई0) के आधार पर किया जाएगा, जिन्हें प्रपत्रों के साथ संलग्नकर जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्तों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।

6- नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा इण्ट्री का कार्य प्रथम बार किया जा रहा है। अतः यदि डेटा इण्ट्री के समय किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इस सम्बन्ध में यू0आर0एल0 के होम/लॉगिन पेज पर दिये गए ई-मेल आई0डी0 एवं फोन नम्बर पर सम्पर्क कर समस्या का निराकरण तत्काल कराएं।

7- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः साफ्टवेयर में लॉगिन हेतु सम्बन्धित
विभागों के यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड।

भवदीय,

(विवेक वार्ष्णेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-7/2017/1521(1)/31-2017-06/2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

2-कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

3-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4-समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

5-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

6-समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं मा0 राज्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(हरि शंकर)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 7/2017/1521(2)/31-2017-06/2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

2-समस्त स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि शंकर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।